ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.2, JULY-DEC,2023 /12

''भारतीय समाज में पुरूष घरेलू हिंसा का अध्ययन''

पल्लवी श्रीवास्तव एवं डॉ. श्रीमती सुषमा पाठक
शोध छात्रा,समाजशास्त्र एंव शोध पर्यवेक्षक
राजामोहन गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, अयोध्या।

https://doi.org/10.61410/had.v18i2.136

किसी भी देश के नागरिकों की जब चर्चा की जाती है तो शब्द से उभय रूप में महिला और पुरूष दोनों का बोध होता है। किसी समाज की प्राथमिक ईकाई परिवार मानी जाती है और परिवार को चलाने में महिला और पुरुष की भूमिका बराबर की होती है। वे गाडी के उस दो पहिए के समान होते है, जिसके बराबर न होने पर गाड़ी सीधी दिशा मे आगे नही बढ़ सकती है। बात जब मानव अधिकारों की की जाती है तो बर्बस ही महिला व पुरूष समान अधिकार प्राप्त माने जाते हैं, लेकिन जब बात भारत वर्ष की, की जाती है तब अधिकार प्राप्त नारी का एक चेहरा उभरकर सामने आता है। वजह साफ है मनुस्मृति में भारतीय नारी को शक्ति स्वरूप समझा जाता था। वर्तमान समय में भी नवरात्रि के समय कन्या पूजन इसी तरफ संकेत करता है 'मनुस्मृति में एक स्थान पर उल्लेख भी आया हैं। ''यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है।

राधाकृष्णन के अनुसार– हिन्दू समाज में स्त्रियों का सम्मान व आदर प्राचीन काल से आदर्शात्मक व मर्यादायुक्त रहा है, उसके प्रति स्वभाविक निष्ठा व श्रद्धा रही है और समुदाय में अनेक द्वारा किये जाने वाले योगदान का महत्व व गौरव रहा है। नारी सर्वशक्तिमान मानी गई है। विद्या, यश, शक्ति और सम्पत्ति का प्रतीक समझी गयी है। नारी मानव जाति की जननी और धात्री है व जीवन का स्त्रोत और सामाजिक व्यवस्था (जीवन) की धुरी है। पुरूष केवल वह भाग है, जब तक उसे पत्नी प्राप्त नही होती वह अपूर्ण रहता है। इसलिए वह पत्नी प्राप्त करता है और पूर्ण बनता है। नर परस्पर अपने कृत्यों को करते हुए पुरूषोपयोगी कार्य करता है और स्त्री स्त्रीयोंचित कार्य को करती है। दोनो अपने अपने कृत्यों को करते हुए भी अपूर्ण रहते हैं और मिलकर पूर्ण हो जाते हैं। एक धारणा है कि पति पत्नी एक दूसरे के सर्वोत्तम मित्र होते है,मित्रता जो सब सम्बन्धों का सार हैं।
प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। ''महिला की भूमिका और स्थिति में दुनिया भर में आये और आ रहे बदलाव। ''इस बदलाव में महिला के जीवन और समाज में उसके दोयम दर्जे की बातों को पूरी तरह से बदल दिया है। ऋग्वेद के करीब वह स्वतंत्रता के बेहद करीब थी। छठी सदी ईसा पूर्व से उसका वास्तविक संघर्ष प्रारम्भ हुआ और फिर ऋग्वेद भूमि की ओर तेजी से अग्रसर रही। ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी–अपनी योग्यता से प्रसिद्ध को प्राप्त किया, उसमें ' गार्गी' मैत्रेयी, अपाला, घोषा, अहिल्या' आदि प्रमुख हैं।

महिलाएं अपनी भूमिका में शक्ति का रूप समझ जाती है फिर भी वह प्रत्येक क्षेत्र मे हिंसा के शिकार हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात् जननी और जन्मभूमि दोनो स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। विभिन्न भारतीय ग्रन्थों वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाकाव्यों, आदि में महिलाओं को एक तरफ देवी का स्थान प्राप्त है, तो दूसरी तरफ सामजिक उत्पीड़न एवं अत्याचार को सहती महिलाओं को भी देखा गया है। महिलाओं का जीवन रामायण, महाभारत में भी हिंसा प्रधान था, इसी काल में सीता, द्रोपदी, अहिल्या, आदि के साथ घोर अत्याचार किया गया समस्त

धार्मिक ग्रन्थों में यही बात देखी गयी है कि 'मॉ के आंचल में जगत का महत्व समय हुआ है इसके विपिरीत स्मृति– कालीन धर्मशास्त्रों में महिलाओं को दासी अथवा वस्तु के रूप में दिया गया है भारतीय हिंदू धर्म में जहॅा महिलाओं को सम्पतित ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानकर उन्हे लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा के रूप मे मान्यता दी गयी वहीं वर्तमान समय में महिलाओं का जीवन भयंकर अव्यवस्थित हो गया है ग्यारहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी के बची संभवतः महिलाओं की सामजिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी थी, सामाजिक बुराईयों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को काफी गिरा दिया था ,यह क्रम सदियों से चला आ रहा है और आज भी वे हिंसा के ही दौर से गुजर रही है।

अपनी तमाम स्थितियों के बावजूद भी आज महिलाएं हर दहलीज को पार कर अपनी एक अलग पहचान बना रही और आगे बढ़ रही है लैंगिक समानता कि केन्द्रीय स्थिति मे हैं। जहां महिलाएं बदिश को तोड़कर बाहर आ रही है जिसमें इंदिरा नही दिलेरी क्लिंटन, सुनीता विलियम्स सानिया मिर्जा, प्रतिभा पटिल, सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी विजय लक्ष्मी, पंडित सुचिता कृपलानी ऐनी बेसेंट, शीला दीक्षित मीरा कुमार, जय ललिता, साहिबा मेहवाल, जैसी महिलाओं के उदाहरण है इन तमाम स्थितियों एवं तरक्कियों के बावजूद भी महिलाओं को अभी पुरूषों के बराबर समानता पानी है। जिसमें स्वंय महिलाएं ही कदम बढ़ा सकती है इस संदर्भ मे मजाज लखनवी लिखते है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। महिलाओं को राजनीतिक,शिक्षा, नौकरी ग्राम पंचायत आदि मे सहभागिता बढ़ी है। महिलाओं ने देष की राजनीतिक में प्रवेश कर अनेक उच्च पदां को प्राप्त किया हैं इन सबके बावजूद भी वर्चस्व और सशाक्तिकरण के मामलों में पुरूषों से काफी पीछे है , इसकी वजह है हिंसा और घरेलू हिंसा की घटना निर्णय शाक्ति महिलाओं की क्षमताओं को प्रभावित कर रहा है जिससे महिलााओं का विकास अवरूद्ध होता है।महिला सशक्तिकरण हिंसा और असमानता से लड़ने के लिए अस्तित्व में आया। महिलाएं अपने सघर्षो एवं अनुभवों को लेकर सामने आयी वह अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए आगे बढ़ी है जिससे वह सामजिक–आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कर रही हैं। यदि महिलाओं के संदर्भ में देख जाए तो आज भी तमाम महिलाएं युवतियां प्रतिदिन लैंगिक हिंसा से जूझ रही है।

वर्तमान युग मे लोगों के विचारों तौर तरीकों मे परिवर्तन आया है परन्तु यह परिवर्तन महिलाओं शोषण एवं उनके विचारों मे पूर्ण रूप से नहीं आ सकता है, लेकिन महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के तरीकों में बदलाव अवश्य आया है। भेदभाव की यह वैश्विक संस्कृति महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार को दिन प्रतिदिन बढ़ावा देता रहा है। यह इतना परवान पर है कि आज तीन साल की बच्ची से लेकर अस्सी साल की बूढी के साथ बलात्कार, निर्भया, हत्या आदि की घटनाएं हो रही है स्त्रियों के दास्ता और उत्पीड़न का इतिहास उतना ही पुराना है जितना असमानता और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक संरचनाओं के उदभव और विकास। आधुनिक विश्व इतिहास की ब्रहम बेल में पुनर्जागरण काल के महामानवों के मानवतावाद और धर्म सुधार आन्दोलन में पितृसत्तात्मकता की दारूण दासता के विरूद्ध स्त्री समुदाय में भी नयी चेतना के बीज बोए जिनका अंकुरण संबोधन काल में साफ–साफ दिखने लगा। हालांकि उसकी अपनी इतिहासजनित विशिष्ठ कमजोरियां थी जो आज भी बनी हुई है। तब से लेकर आज तक विश्व के प्रायः सभी हिस्सों में स्त्री प्रश्न पर चिन्तन का सुदीर्घ इतिहास में देखा जा सकता है। स्त्री पुरुष असमानता के ऐतिहासिक कारणों पर भी स्त्री उत्पीड़न के राजनीतिक अर्थशास्त्र और विशेषकर घरेलू श्रम् की प्रकृति पर पुरूष वर्चस्ववाद के दर्शन और मनोविज्ञान पर सामाजिक आर्थिक संरचना के साथ यौन उत्पीड़न के अन्तर्सम्बन्धों पर यौनिक विभेद और यौन राजीनतिक भूमिका पर तथा स्त्री आन्दोलन की दिशा और स्वरूप से जुडे प्रश्नों पर विशेषकर बीसवीं शताब्दी के दौरान घनघोर बहसें चली है।

पुरूष घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा ऐतिहासिक विश्लेषण जितना पुराना भारत का इतिहास है, उतना ही पुराना महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा का अपराध हैं विश्व में होने वाले कुल अपराधों का यदि अध्ययन किया जाए तो यह तथ्य प्रकाष मे आता है। कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का प्रतिशत अधिक होता है अब बात पारिवारिक व वैवाहिक हिंसा कि चूंकि महिलाएं शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर होती है इसलिए पुरूष तथा तब ताकत के बल पर झुका लेता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद पैदा हो जाता है यह विवाद कभी की इतना बढ़ जाता है कि पुरूष हिंसक हो उठता है और वह अपनी पत्नी को पीटने लगता है चूंकि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरूषों के मुकाबले कुछ अक्षम होती है इसलिए पारिवारिक हिंस का शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती है, परन्तु यदि हम इस विशय गूढता से दृश्टिगोचर करेगें तो हम पायेगें कि ''क्या हिंसा सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप में होती है'' जबकि हम सी घरेलू हिंसा के संदर्भ मे इस वक्तव्य से अवगत है कि घरेलू हिंसा में सिर्फ हाथ से मारना या पीटना हो सम्मिलित नही होता भावनात्मक या मानसिक रूप से परेशान करना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी मे अता है हम पूर्वकथन पर पुनः दृष्टिपात करेगे कि हम सकी जानते है और यह सिद्ध है कि महिलाएं भावनामक आधार पर एक पुरूष से ज्यादा मजबूत और परिपक्व होती है फिर यदि हम शारीरिक बात की और ध्यान न दे तो हम पाएगें कि एक स्त्री बल प्रयोग करके नही परन्तु क्या मानसिक या भावनात्मक आधार पर पुरूष को ठेस नही पहुंचा सकती है? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है परन्तु शायद हम घरेलू हिंसा शब्द का पर्यायवाची महिला को मानते है इसलिए इस बात पर हमारा ध्यान नही जाता है।

आधुनिक सभ्यता वर्तमान शिक्षा, नगरीय जीवन शैली के फलस्वरूप पारिवारिक संरचना काफी हद तक प्रभावित हुई हैं। जीवन काल के प्रारंभ से ही पुरूषों को समस्त प्रभुत्व प्राप्त थे जिससे उनको समाज में उच्च स्थिति प्राप्त थी। वे ही परिवार के मुखिया की भूमिका का निर्वहन करते थे। परिवार में होने वाले समस्त निर्णयों में पुरूष का निर्णय ही अन्तिम तथा मान्य होता था, फिर चाहे उन निर्णयों में परिवार की स्त्रियों की असहमति ही क्यों न हों। पुरूष वर्ग द्वारा किये जोने वाले अत्याचार पर शायद ही कोई स्त्री अपनी आवाज बुलंद कर पाती थी। परंतु आधुनिक समय में पुरूष तथा स्त्री की स्थिति काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अब स्त्रियों पुरूषों के द्वारा होने वाले अत्याचारों पर अपनी आवाज उठा रही हैं पुरूष की इन्हीं आक्रामक छवि को हमारे परिवार तथा समाज में एक स्थिर अवधारणा मान लिया गया। यह छवि समस्त समाज के सामने उजागर ही नहीं हो पाती हैं। जब भी हम घरेलू हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने जो चेहरा उभरकर सामने आता है वह स्त्री का ही होता है, परन्तु सत्यता इससे कहीं हटकर है। घरेलू हिंसा समाज के किसी एक ही वर्ग पर नहीं होती है, स्त्री और पुरूष दोनों ही घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं भले ही प्रतिशतता की मात्रा में अन्तर हो। हम सभी जानतें हैं कि हम पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को कमजोर और पुरूषों को मजबूत ह्रदय वाला समझा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई महिला अपने ऊपर हो रहे घरलू अत्याचार को समाज के सामने लाती हैं तो सहानुभूति प्राप्त होती है, इसी के विपरीत जब तक पुरूष घरेलू हिंसा की बात को समाज के सामने उजागर करता है तो उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है तथा उसका उपहास किया जाता है। घरेलू हिंसा पर धारणा यह हैं कि पुरूष अपराधी है और महिलाएं पीड़ित हैं, नतीजतन या अप्रत्याशित है कि विशिष्ट लिंग के आधार पर महिलाओं के पास पुरूषों पर हिंसा करने की शारीरिक या अन्य क्षमता होगी। जैसा कि हम सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरूष ज्यादा आत्महत्या करते है। एक विवाहित स्त्री की हत्या या आत्महत्या घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है तो विवाहित पुरूषों की हत्या या आत्महत्या घरेलू हिंसा की परिधि से बाहर क्यो है शायद पितृसत्तात्मक समाज की परम्परागत व्यवस्था जो सदियों से स्त्री समुदाय को प्रताड़ित करती आई है, वह इतनी पराकाष्ठा पर थी की यदि वर्तमान में पुरूष के साथ गलत हो भी तो वह

विश्वास योग्य नहीं माना जायगा। इन सभी परिस्थितियों का जिम्मेदार यदि देखा जाय तो शायद पुरूष वर्ग ही है उसने अत्याचार की सीमा शायद इतनी लांघ दी कि अब उसकी आवाज जनमानस तक पहुंच ही नही रही। क्या सम्पूर्ण विश्व में स्त्री और पुरूष इन दो वर्गों में एक वर्ग पूर्णतया निर्दोष है तथा एक वर्ग पूर्णतया दोषी है। कहीं हम इस दिशा तो अग्रसर नहीं है जहां हमारे समाने एक पुरुष प्रताणित है यह जानते हुए की हम अनभिज्ञ बन रही है क्योंकि हमारे समाज की यह धारणा बन चुकी है कि पुरुष सदैव से दोषी था और रहेगा।

एक व्यक्ति का अपनी पत्नी द्वारा पीटे जाने की स्थिति स्वाभविक रूप से समझ से बाहर है। इस तरह से आदमी को ''असली आदमी नहीं'' के लिए मजाक बनाया जाता हैं। जहॉ एक पुरूष अपनी पत्नी से घरेलू हिंसा का सामना करता है, वह नहीं चाहते की अपनी स्थिति दूसरों के सामने आए और वह चुपचाप दर्द सही करने का विकल्प चुनते हैं। उनकी यह सोच होती है कि मदद के लिए रोने से अपनी आवाज उठाने से उनकी स्थिति हानिकारक हो सकती है और उपहास की वस्तु बना सकती हैं। जब पत्नियों अपने पति को पीटती हैं तो कोई भी इस पर विश्वास नही करना चाहता हैं। ऐसी मानसकि धारणा के चलते पुरूष अपने उपर हो रहे अत्याचार को खुलकर किसी से कहने में संकोच करते हैं। महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने में समाज का प्रत्येक वर्ग आगे आना चाहता हैं परन्तु पुरूषों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कोई भी बोलने में संकोच कारता हैं। हम यह भूल हाते है कि अन्याय किसी एक वर्ग या लिंग के साथ–साथ नहीं होता है। हमारे समाज में जहां स्त्रियों को सशक्त करने की दिशा मे भरसक प्रयास किये जा रहें वहां किसी बेगुनाह पुरूषों को घरेलू हिंसा की अग्नि में जलने के लिए छोड दिया जाता है।

हालांकि इस बात से इकनार नही किया जा सकता है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ हर स्तर पर दुर्व्यवहार होता हैं परन्तु कुछ महिलाओं के चलते सही महिलाओं को न्याय नही मिल पाता है। पुरूषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरूषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेत्तर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नही करना हैं, बच्चों की उचित देखीााल न करना, पति–पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरूषों का बांझपन आदि कारण हैं। संक्षेप में घरेलू हिंसा की कहानी में पुरूषों को विभिन्न पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्षः घरेलू हिंसा सूक्ष्म व जटिल घटना है, इसके समाधान के लिए विश्लेषाणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है यह सचमुच आश्चर्य की बात हैं कि शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के बावजूद घरेलू हिंसा पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। हमारे देष में पुरूषों को बचपन से ही अपना दुखडा ना रोने और भीतर से मजबूत बनने की नसीहत दी जाती हैं। ऐसे में पुरुष अपना दर्द बयां नहीं करते। उन्हे लगता है कि इससे समाज में उन्हे उपेक्षा का पात्र बनना पडेगा। ऐसी स्थिति को बदलने की जरूरत है। पुरूषों को भी अपने साथ होने वाले घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इसके लिए उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार शिविर करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है और अत्याचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए प्रेरित किया जाता हैं, ऐसे पुरूषों के पक्ष में किये जाने की आवश्यकता है। अध्ययन के अनुसार महिलाओं के अलावा घरों में पुरूषों के साथ भी घरेलू हिंसा/दुर्व्यवहार/शोषण हो रहा है या फिर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। यदि एक पुरुष को शारीरिक रूप से नुकसान नही पहुंचाया है, तो वह भावनात्मक और व्यवहार की समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। सर्वेक्षण करते समय यह ज्ञात हुआ कि पुरुष भी महिलाओं के समान घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं।

संदर्भ

राम आहूजा सामजिक समस्याएं रावत पब्लिकेषन जयपुर पृ.क्र344
सॉन्डर्स डेनियल जी. (1988). ''पत्नी दुर्व्यवहार, पति
दुर्व्यवहार, या पारस्परिक मुकाबला अनुभवजन्य निष्कर्षो पर एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य''।
नवभारत टाइम्स पत्रिका।
गुप्ता, दीपांकर; पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ओरिएंट लोगमैन, वर्ष 2000।
सेल्यएस,एस; एमपॉवरमेंट एंड सोशिल डेवलपेंट इश्यू इन कम्यूनिटी पॉर्टिसिपेन, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली वर्ष 2003।
बंदोपाध्याय, डी. और मुखर्जी, अनिता;एमपॉवरिंग विमिन पंचायत मेम्बरर्स, राजीव गॉधी फाउंडेशन, नई दिल्ली वर्ष 2001।
औरत अस्मिता एवं अस्मिता अरविंद जैन वर्ष 2002।
हमारी पारिवारिक व्यवस्था; बी. सी. सीता रमैया।
नारी अधिकार; शान्ति कुमार स्याल, अंसी आत्माराम एण्ड सन्स दिल्ली वर्ष 2000।
वैवाहिक हिंसा एवं भारतीय अस्मिता आदित्य पब्लिशर्स बीना वर्ष 1997।
भारत में परिवार विवाह और नातेदारी जयपुर, रावत पब्लिकेशन।